(1246)

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 पटना।

पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड पटना।

कार्यालय आदेश

16.07.18

डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता के रूप में निगम के गोदामों से खाद्यान्न प्राप्त कर जनवितरण प्रणाली के दूकानदारों के दूकान तक खाद्यान्न सुरक्षित रूप से पहुँचाने हेतु दिनांक 19.07.2017 को जावेद आलम खान डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता, मोहल्ला–ब्रहमपुर, पो0–छपरा, थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण (छपरा) के साथ एकरारनामा किया गया। जिला प्रबंधक पटना के 4जी0 के नियंत्रण कक्ष में जी0पी0एस0 ट्रैकिंग के क्रम में दिनांक 13.03.2018 को वाहन संख्या **BR01GB/3003** एवं **BR1AE/0697** द्वारा प्राप्त रूट ड्रायर्भसन की सूचना के आधार पर सबंधित जनवितरण प्रणाली की दूकान एवं दर्शाऐं गये ड्रायर्भट स्थल पर छापामारी करते हुए सबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता एवं परिवहन अभिकर्ता डोर स्टेप डिलेवरी के विरूद्व गर्दनी बाग थाना काण्ड संख्या 101/18 दिनांक 14.03.2018 दर्ज कराया गया है। तदपरोन्त सबंधित डोर स्टेप डिलेवरी परिवहन अभिकर्ता जावेद आलम खान से खाद्यान्न की ढुलाई बंद करा दिया गया।

मुख्य परिवहन अभिकर्ता प्रथमेश इन्फ्रा सौलूशन प्रा0लि0 प्रो0 अमीरका प्रसाद, 102 सरस्वती निकेतन आई0एस0 कोलनी केदवईपुरी पटना के साथ दिनांक 17.01.2017 को एकरारनामा किया गया। दिनांक 15.03.2018 को जी0पी0एस0 ट्रैकिंग के आधार पर वाहन संख्या **BR01G/2010** को मार्ग विचलन की प्राप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर मनेर गोदाम हेतु निर्गत वाहन बिहटा में पकड़ा गया। उक्त क्रम में मुख्य परिवहन अभिकर्ता प्रथमेश इन्फ्रा सौलूशन प्रा0लि0 प्रो0 अमीरका प्रसाद एवं अन्य के विरूद्व थाना काण्ड संख्या 265/18 दिनांक 15.03.2018 दर्ज किया गया।

जिला प्रबंधक पटना द्वारा रा0खा0निगम, मुख्यालय पटना के ज्ञापांक 2648 दिनांक 16.03.2018 के कंडिका 03(III) के आलोक में जावेद आलम खान डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता, मोहल्ला–ब्रहमपुर, पो0–छपरा, थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण (छपरा) एवं मुख्य परिवहन अभिकर्ता प्रथमेश इन्फ्रा सौलूशन प्रा0लि0 प्रो0 अमीरका प्रसाद, 102 सरस्वती निकेतन आई0एस0 कोलनी केदवईपुरी पटना के एकरारनामा को रद्व करने एवं काली सूची में दर्ज करने तथा जमानत/बैंक गारन्टी के राशि को जप्त करने हेतु जिला परिवहन समिति द्वारा अनुमोदन की अनुशंसा की गई।

जिला परिवहन समिति की बैठक दिनांक 04.04.2018 एवं 26.06.2018 की हुई बैठक में समीक्षा उपरान्त बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम परिवहन निति 2018 के कंडिका 03(III) के आलोक में दोनो परिवहन अभिकर्ता जावेद आलम खान एवं प्रथमेश इन्फ्रा सौलूशन प्रा0लि0 को खाद्यान्न विचलन के आरोप में सर्वसम्पति से इसको काली सूची में नाम दर्ज करने की अनुशंसा की गई।

अतः जिला परिवहन समिति की बैठक दिनांक 04.04.2018 एवं 26.06.2018 में लिये गये निर्णय के आलोक में जावेद आलम खान डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता, मोहल्ला–ब्रहमपुर, पो0–छपरा, थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण (छपरा) एवं मुख्य परिवहन अभिकर्ता प्रथमेश इन्फ्रा सौलूशन प्रा0लि0 प्रो0 अमीरका प्रसाद, 102 सरस्वती निकेतन आई0एस0 कोलनी केदवईपुरी पटना का एकरारनामा रद्द करते हुए काली सूची **(Black Iisted)** में नाम दर्ज किया जाता है, तथा जमानत एवं बैंक गारन्टी की राशि जप्त की जाती है।

अनु0:–यथोक्त।

13/7/18
जिला प्रबंधक
13-7-018 पटना।

ज्ञापांक 1599 दिनांक 13/7/18

प्रतिलिपिः– जावेद आलम खान डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता, मोहल्ला–ब्रहमपुर, पो0–छपरा, थाना–भगवान बाजार, जिला–सारण (छपरा) एवं मुख्य परिवहन अभिकर्ता प्रथमेश इन्फ्रा सौलूशन प्रा0लि0 प्रो0 अमीरका प्रसाद, 102 सरस्वती निकेतन आई0एस0 कोलनी केदवईपुरी पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– स0ले0पाल/सहायक लेखा पदाधिकारी जिला कार्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप महाप्रबंधक परिवहन, रा0खा0 निगम, मुख्यालय पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अपर जिला दण्डा0(आ0) पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी/ उप विकास आयुक्त पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक रा0खा0 निगम, मुख्यालय पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

13/7/18
जिला प्रबंधक
13-7-018 पटना।

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना

दिनांक 04.04.2018 को सम्पन्न जिला परिवहन समिति की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :— पंजी अनुसार।

कार्यवाही :—

1. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना द्वारा बताया गया कि राज्य खाद्य निगम, पटना में 4G के नियंत्रण कक्ष में GPS Tracking के क्रम में दिनांक 13.03.2018 को वाहन संख्या BR01GB/3003 एवं BR1AE/0697 द्वारा प्राप्त रूट डायवर्सन की सूचना के आधार पर सम्बन्धित जन वितरण प्रणाली दुकान एवं दर्शाए गए डायवर्टेट स्थल पर छापामारी करते हुए सम्बन्धित जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं परिवहन अभिकर्त्ता (DSD) के विरूद्ध गर्दनीबाग थाना काण्ड संख्या 101/18 दिनांक 14.03.2018 दर्ज कराया गया है। तदोपरान्त सम्बन्धित DSD परिवहन अभिकर्त्ता मो0 जावेद आलम खान से खाद्यान्न की ढुलाई बंद करते हुए जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के पत्रांक 590 दिनांक 15.03.2018 द्वारा रोहित कुमार, परिवहन अभिकर्त्ता (DSD) मुसल्लहपुर हाट एवं कटरा के साथ टैग किया गया है।

सर्वसम्मति से जिला प्रबंधक द्वारा की गयी टैगिंग को अनुमोदित किया गया। प्राथमिकी दर्ज परिवहन अभिकर्त्ता मो0 जावेद आलम खान को काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा प्रबंध निदेशक, BSFC को भेजने का निर्णय लिया गया। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि वे सम्बन्धित जोन में डोर स्टेप डेलीवरी के लिए परिवहन अभिकर्त्ता के चयन हेतु अविलम्ब निविदा प्रकाशित करें।

2. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना द्वारा बताया गया कि नियंत्रण कक्ष में दिनांक 15.03.2018 को GPS Tracking के आधार पर वाहन सं0 BR01G/2010 के द्वारा मार्ग विचलन की प्राप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर मनेर हेतु निर्गत वाहन को बिहटा में पकड़ा गया। उक्त क्रम में मुख्य परिवहन अभिकर्त्ता, प्रथमेश इन्फ्रा सॉलूशन प्रा0 लि0, प्रो0 अमेरिका प्रसाद एवं अन्य के विरूद्ध बिहटा थाना काण्ड सं0— 265/18 दिनांक 15.03.2018 दर्ज कराया गया। इस सम्बन्ध में परिवहन अभिकर्त्ता से स्पष्टीकरण पूछा गया परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित परिवहन अभिकर्त्ता को काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा प्रबंध निदेशक, BSFC को भेजी जाय।

3. जिला प्रबंधक द्वारा बताया गया कि 16.03.2018 से सम्बन्धित मुख्य परिवहन अभिकर्त्ता मेसर्स प्रथमेश से खाद्यान्न की ढुलाई का कार्य बंद कर दिया गया। साथ ही खाद्यान्न का ससमय उठाव सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्षेत्रों के मुख्य परिवहन अभिकर्त्ता के साथ गोदामों की tagging ज्ञापांक 702 दिनांक 27.03.2018 द्वारा की गयी। अन्य परिवहन अभिकर्त्ता मेसर्स प्रथमेश के स्वीकृत दर पर खाद्यान्न की ढुलाई हेतु राजी नहीं हुए। सभी परिवहन अभिकर्त्ताओं के साथ बैठक की गयी, परन्तु उक्त दर पर कोई तैयार नहीं हुए।

तदोपरान्त कार्यालय पत्रांक 656 दिनांक 21.03.2018 द्वारा विभागीय परिवहन की अनुमति हेतु प्रबंध निदेशक से अनुरोध किया गया। प्रबंध निदेशक, BSFC द्वारा विभागीय परिवहन की अनुमति दी गयी, परन्तु इसके लिए GPS एवं लोडसेल युक्त वाहन उपलब्ध नहीं हो सका। वर्णित परिस्थिति में उठाव विगत 20 दिनों से बाधित रहा।

उक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 04.04.2018 को पुनः अपर समाहर्त्ता(आपूर्ति) स्तर पर जिले के अन्य परिवहन अभिकर्त्ताओं के साथ समस्या के समाधान हेतु बैठक की गयी। मेसर्स जय गुरूदेव इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन को0 प्रा0 लि0 द्वारा उनके फर्म के लिए स्वीकृत दर पर उठाव की सहमति लिखित रूप से दी गयी।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स जय गुरूदेव परिवहन अभिकर्त्ता के स्वीकृत दर पर दानापुर, मनेर, बिहटा, नौबतपुर एवं फुलवारीशरीफ गोदामों के लिए खाद्यान्न के उठाव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्रबंध निदेशक, BSFC को भेजी जाय, ताकि उठाव का कार्य सुचारू रूप से ससमय सम्पादित हो सके।

जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि वे सम्बन्धित जोन के लिए परिवहन अभिकर्त्ता (मुख्य) के चयन हेतु अविलम्ब निविदा प्रकाशित करें।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

4/4/18	4/4/18	4/4/18	4/4/18	4/4/18
जिला प्रबंधक, बि0रा0खा0नि0, पटना।	जिला परिवहन पदा0, पटना।	अपर जिला दण्डा0, (आपूर्ति), पटना।	उप विकास आयुक्त, पटना।	जिला पदाधिकारी, पटना।

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0,
पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड़ पटना।

दिनांक 26.06.2018 को सम्पन्न जिला परिवहन समिति की बैठक की कार्यवाहीः—

उपस्थितिः— पंजी अनुसार

कार्यवाहीः—

1. जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, पटना द्वारा सूचित किया गया कि राज्य खाद्य निगम पटना में 4जी0 के नियंत्रण कक्ष में GPS ट्रैकिंग के क्रम में दिनांक 13.03.2018 को वाहन संख्या **BR01GB/3003** एवं **BR1AE/0697** द्वारा प्राप्त रूट डायबर्सन की सूचना के आधार पर सबंधित जनवितरण प्रणाली की दुकान एवं दर्शाऐं गये डायर्भट स्थल पर छापामारी करते हुए सबंधित जनवितरण प्रणाली विक्रेता एवं परिवहन अभिकर्ता (डी0एस0डी0) के विरूद्व गर्दनीबाग थाना काण्ड संख्या 101/18 दिनांक 14.03.2018 दर्ज कराया गया है। तदपरोन्त सबंधित डी0एस0डी0 परिवहन अभिकर्ता मो0 जावेद आलम खान से खाद्यान्न का ढुलाई बंद कराते हुए जिला प्रबंधक रा0खा0 निगम के पत्रांक 590 दिनांक 15.03.2018 द्वारा रोहित कुमार डी0एस0डी0 परिवहन अभिकर्ता को खाद्यान्न ढुलाई के लिए सम्बद्व किया गया।

उसी प्रकार दिनांक 15.03.2018 को जी0पी0एस0 ट्रैकिंग के आधार पर वाहन संख्या **BR01G/2010** को मार्ग विचलन की प्राप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर मनेर हेतु निर्गत वाहन को बिहटा में पकड़ा गया । उक्त क्रम में मुख्य परिवहन अभिकर्ता प्रथमेश इन्फ्रा सॉलूशन प्रा0लि0 प्रो0 अमेरिका प्रसाद एवं अन्य के विरूद्व बिहटा थाना काण्ड संख्या 265/18 दिनांक 15.03.2018 दर्ज कराया गया है।

जिला प्रबंधक द्वारा राज्य खाद्य निगम मुख्यालय पटना के ज्ञापांक 2648 दिनांक 16.03.2018 के कंडिका 03 (III) के आलोक मे प्रथमेश इन्फ्रा सॉलूशन प्रा0लि0 पटना परिवहन अभिकर्ता मुख्य, एवं मो0 जावेद आलम खान डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता के एकरारनामा को रद्व करने एवं काली सूची में दर्ज करने तथा जमानत /बैंक गारन्टी की राशि को जप्त करने हेतु जिला परिवहन के अनुमोदन की अपेक्षा की गयी है।

2. समीक्षोपरान्त पाया गया कि जिला परिवहन समिति की दिनांक 04.04.2018 को सम्पन्न बैठक में ही इन दोनों परिवहन अभिकर्ताओं को काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा की गयी है। निगम मुख्यालय के वर्णित पत्र के आलोक में परिवहन अभिकर्ता का एकरारनामा रद्द करने, काली सूची में नाम दर्ज करने , आदि की कार्रवाई जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा जिला परिवहन समिति के अनुमोदन के आलोक में किया जाना है। इस प्रकार वर्णित मामलों में अग्रेतर कार्रवाई जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम पटना स्तर पर लम्बित है। वर्णित दोनों परिवहन अभिकर्ताओं का खाद्यान्न के विचलन के आरोप में पुनः सर्व सम्मति से काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा की गयी। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, पटना अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला प्रबंधक, पटना।	जिला परिवहन पदा0, पटना।	अपर जिला दण्डा0 (आपूर्ति) पटना।	उप विकास आयुक्त पटना।	जिला पदाधिकारी पटना।